बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

आ0सं0: योस्था05 / 1–20 / 2024 / यो0वि0,पटना,दिनांक जुलाई, 2026

अधिसूचना

श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेगूसराय, सदर प्रखंड, बेगूसराय सम्प्रति सहायक निदेशक (सेवानिवृत), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के विरूद्ध उनके पदस्थापन की अवधि में बरती गई अनियमिमता तथा सरकार / विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करने संबंधी आरोपों के लिए विभाग द्वारा आरोप–पत्र का गठन करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. विभागीय कार्रवाई के नियमानुकुल संचालन हेतु विभागीय संकल्प सं0–7045 दिनांक 17.12.2024 द्वारा द्वारा डॉ0 विद्यानन्द सिंह, निदेशक–सह–संचालन पदाधिकारी तथा श्री अरविन्द कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. विभागीय कार्यवाही संचालन अवधि के दौरान श्री कुमार दिनांक 31.01.2025 को वार्धक्य सेवानिवृत हो गए। फलतः इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश संख्या 4743 दिनांक 14.08.2025 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के अधीन समपरिवर्तित किया गया।

4. श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का नियमानुकूल संचालन के उपरांत संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना का पत्रांक 797 दिनांक 08.05.2025 द्वारा विभाग को समर्पित किया गया।

5. प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत विभागीय पत्रांक 3159 दिनांक 10.06.2025 द्वारा श्री कुमार को एक पक्ष के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) समर्पित किए जाने का निदेश दिया गया।

6. श्री कुमार के द्वारा अपना लिखित अभिकथन दिनांक 26.06.2025 को समर्पित करते हुए उन्हीं तथ्यों का उल्लेख / दोहराव किया गया जिसे उनके द्वारा स्पष्टीकरण में किया गया था।

तदैव अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा इनके विरूद्ध गठित आरोप–पत्र में वर्णित आरोपों, साक्ष्यों तथा संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा के उपरांत इनके द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेगूसराय के पदस्थापन अवधि में 22 सोलर लाईट अधिस्थापन में अधिशेष भुगतान करने के संबंध में बरती गई अनियमितता के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत दण्ड के रूप में इनके उपादान से ₹4,61,400 (चार लाख एकसठ हजार चार सौ रूपये) की कटौती करते हुए इनके सेवानिवृति के उपरांत प्रदान किए जाने वाले "पेंशन से 5% की राशि 1 (एक) वर्ष तक कटौती" किए जाने संबंधी दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया एवं उक्त प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की अपेक्षा की गई।

7. माननीय न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकारी, बेगूसराय, द्वारा जारी सर्टिफिकेट देनदारी नोटिस, वाद सं0–983 / 2025–26, के आलोक में BRGF (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान

निधि) मद अन्तर्गत अधिशेष भुगतेय राशि, ₹2,68,576/– (दो लाख अड़सठ हजार पाँच सौ छिहत्तर रुपये) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेगूसराय, सदर प्रखण्ड बेगूसराय के खाते में जमा किये जाने के पश्चात् कार्रवाई समाप्त किये जाने की सूचना विभाग को संसूचित की गई। श्री कुमार द्वारा सोलर लाईट के क्रय में किये गये अधिकाय व्यय की राशि ₹2,68,576/– (दो लाख अड़सठ हजार पाँच सौ छिहत्तर रुपये) नाजीर रसीद संख्या–188974 दिनांक 08.01.2026 द्वारा जमा कर दिया गया। इसी क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 4157 दिनांक 16.01.2026 द्वारा भी प्रति ईकाई निर्धारित राशि एवं अधिक दर पर स्वीकृति राशि के गणना पर अधिक भुगतान की गई राशि ₹2,68,576/– (दो लाख अड़सठ हजार पाँच सौ छिहत्तर रुपये) मात्र होती है, के आधार पर प्रशासी विभाग द्वारा पुर्नसमीक्षा करने का परामर्श दिया गया।

8. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त उक्त परामर्श तथा राशि जमा हो जाने के आलोक में श्री प्रमोद कुमार पर अधिरोपण हेतु प्रस्तावित दंड में विभाग द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए "पेंशन से 1 वर्ष तक 5% की राशि कटौती" का निर्णय लिया गया एवं उक्त प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से पुनः परामर्श प्रदान करने की अपेक्षा की गई। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 4157 दिनांक 16.01.2026 द्वारा श्री प्रमोद कुमार के विरूद्ध विभागीय दण्ड "1 वर्ष तक 5% की राशि कटौती" के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

9. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेगूसराय, सदर प्रखंड, बेगूसराय सम्प्रति सहायक निदेशक (सेवानिवृत), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–7045 दिनांक 17.12.2024 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में 22 सोलर लाईट अधिस्थापन में अधिशेष भुगतान करने के संबंध में बरती गई अनियमितता के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के अंतर्गत सेवानिवृति के उपरांत प्रदान किए जाने वाले **"पेंशन से 5 प्रतिशत की राशि 1 (एक) वर्ष तक कटौती"** किये जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अवधेश कुमार दास)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था05/1–20/2024 /यो0वि0,पटना,दिनांक जुलाई, 2026
प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था05 / 1–20 / 2024 / यो0वि0,पटना,दिनांक जुलाई, 2026

प्रतिलिपिः वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था05 / 1–20 / 2024 / यो0वि0,पटना,दिनांक जुलाई, 2026

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, बेगूसराय / उप निदेशक, सांख्यिकी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर / श्री प्रमोद कुमार, ग्राम–चेतना नगर, समिति रोड, ए0पी0जी0 कॉलोनी, पो0–आशियाना नगर, थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना, पिन– 800025, मोबाईल न0–9430034181 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः यो0स्था05 / 1–20 / 2024 – 3568 / यो0वि0,पटना,दिनांक 08 जुलाई, 2026

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/07/2026

सरकार के अवर सचिव

1. T. Mange